आयकर आयुक्त-IV, अहमदाबाद

बनाम

मेसर श्री रामा मल्टी टेक लिमिटेड

(सिविल अपील क्रमांक 6391 वर्ष 2013)

अप्रैल 24, 2018

[आर.के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति]

आयकर अधिनियम, 1961 - कटौती - शेयर आवेदन राशि बैंक में जमा - उससे अर्जित ब्याज आय - सार्वजनिक निर्गम व्ययों के विरुद्ध ब्याज आय की भरपाई का दावा - माना गया: यदि प्राप्त शेयर आवेदन राशि वैधानिक अनिवार्य आवश्यकता के आलोक में बैंक में जमा की जाती है तो अर्जित ब्याज पर कर नहीं लगेगा और वह सार्वजनिक निर्गम व्यय के विरुद्ध कटौती के लिए पात्र है -इस तरह अर्जित ब्याज कंपनी की शेयर पूंजी जुटाने की आवश्यकता से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार शेयर जारी करने के लिए शामिल व्यय के लिए समायोज्य है। आयकर अधिनियम, 1961 - अन्य स्रोतों से आय की तुलना में कटौती - विशिष्टता के बीच -माना गया: यदि कोई अधिशेष धन बेकार पड़ा है और इसे ब्याज कमाने के उद्देश्य से बैंक में जमा किया गया है तो इस पर अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर लगाया जाएगा। लेकिन यदि अर्जित आय केवल आकस्मिक है और संबंधित कार्य करने का मुख्य उद्देश्य नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कुछ अतिरिक्त आय अर्जित हुई है तो आय का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और कटौती के रूप में दावा करने के योग्य है।

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा:-

1. शेयरों का आवंटन पूरा होने तक प्रतिवादी को वैधानिक रूप से शेयर आवेदन राशि को अलग खाते में रखना आवश्यक था। ऐसी अलग से रखी गई राशि पर अर्जित ब्याज को शेयर पूंजी जुटाने के व्यय में समायोजित किया जाना था। इसलिए, अर्जित ब्याज कंपनी की शेयर पूंजी जुटाने की आवश्यकता से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था और इस प्रकार शेयर जारी करने के लिए शामिल व्यय के लिए समायोज्य था। वैधानिक रूप से अलग खाते में रखे जाने वाले शेयर आवेदन धन से अर्जित ब्याज को शेयर पूंजी जुटाने की लागत में समायोजित किया जा रहा था। [पैरा 9] [932-सी, ई]

2. शेयर का मुद्दा कंपनी की पूंजी संरचना से संबंधित है और इसलिए शेयरों के मुद्दे के संबंध में किए गए खर्चों को पूंजीकृत किया जाना है क्योंकि ऐसी जमा का उद्देश्य कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करना नहीं है। लेकिन वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, और ऐसी जमा पर अर्जित ब्याज केवल आकस्मिक है। मौजूदा मामले में, प्रतिवादी को शेयरों का आवंटन पूरा होने तक शेयर आवेदन राशि को बैंक में रखना वैधानिक रूप से आवश्यक था। उस अर्थ में, बैंक में ऐसी जमा राशि पर अर्जित ब्याज सार्वजनिक निर्गम के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। अर्जित ब्याज के रूप में कंपनी ने जो खर्च किया है, वह शेयर पूंजी जुटाने के लिए कंपनी की आवश्यकता के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ था और इस प्रकार शेयर जारी करने के लिए शामिल व्यय के लिए समायोज्य था। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सही किया कि शेयर आवेदन राशि से अर्जित ब्याज आय सार्वजनिक निर्गम व्यय के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है। [पैरा 12,13] [933-डी-एफ, जी]

आयकर आयुक्त बनाम बोकारो स्टील लिमिटेड ने (1999) 236 आईटीआर 315 (एससी) में रिपोर्ट दी; आयकर आयुक्त बनाम करनाल सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड (2000) 243 आईटीआर 2 (एससी) - पर भरोसा किया।

केस कानून संदर्भ

(1999) 236 आईटीआर 315 (एससी) पैरा 7 पर निर्भर था।

(2000) 243 आईटीआर 2 (एससी) पैरा 11 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6391 वर्ष 2013

गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 18.12.2012 के विरुद्ध कर अपील संख्या 235 वर्ष 2012 में।

साथ

सिविल अपील क्रमांक 8336 वर्ष 2013

अरिजीत प्रसाद, सुश्री गार्गी खन्ना (श्रीमती अनिल कटियार के लिए), अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता।

अमर दवे, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यू, सुश्री श्रुति जोस प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल द्वारा सुनाया गया।

1. वर्तमान अपील गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा टैक्स अपील संख्या 235 वर्ष 2012 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 18.12.2012 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने राजस्व द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था।

अपीलकर्ता ने आईटीए संख्या 1039/एएचडी./2007 और आईटीए संख्या 240/एएचडी./2008 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'द ट्रिब्यूनल') द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 21.10.2011 के खिलाफ अपील की है।

2. संक्षिप्त तथ्य:-

ए) प्रतिवादी - मेसर्स श्री राम मल्टी टेक लिमिटेड मल्टी-लेयर ट्यूब और अन्य विशेष पैकेजिंग और प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है। वर्तमान मामले में विवाद आकलन वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 से संबंधित है। प्रतिवादी ने आकलन वर्ष 2000-2001 के लिए अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया, जिसमें कुल 20,00,59,650/- रुपये की आय घोषित की गई। हालाँकि, निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 31.03.2003 के आदेश के तहत, 27,61,14,254/- रुपये पर कर योग्य आय का आकलन करते हुए मूल्यांकन का आदेश पारित किया। लेकिन आईटीए संख्या 1481/एएचडी/2004 और आईटीए संख्या 1685/एएचडी/2004 में ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 16.12.2004 को दिए गए निर्णय के आलोक में इसे संशोधित किया गया। जिसमें ट्रिब्यूनल ने शेयर आवेदन धन पर ब्याज के प्रमुख के तहत दावा किए गए सेट-ऑफ सहित कुछ मामलों पर फिर से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 16.12.2004 को

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पारित आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 29.12.2004 के आदेश द्वारा कुल आय 17,30,88,691/- रुपये पर पुनः निर्धारित की गई थी। लेकिन आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'आईटी अधिनियम') की धारा 240 (बी) के प्रावधान के मद्देनजर इसे 20,00,59,650/- तक सीमित कर दिया गया था।

(बी) उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में गया। विद्वान सीआईटी (अपील) ने दिनांक 09.01.2006 के आदेश के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी, जबकि निर्धारण अधिकारी को आईटी अधिनियम की धारा 240 के प्रावधान को लागू किए बिना आय की पुन: गणना और कर गणना को संशोधित करके राहत देने का निर्देश दिया। इस बीच, आईटी अधिनियम की धारा 147 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही इस आधार पर शुरू की गई कि मूल्यांकन अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त मूल्यांकन वर्ष की आय मूल्यांकन से बच गई है। अंततः, 21.03.2006 को, निर्धारण अधिकारी ने कुल आय 20,66,29,165/- रुपये निर्धारित की।

(सी) ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक निर्गम व्यय के विरुद्ध ब्याज आय की भरपाई की अनुमति नहीं देने के दिनांक 21.03.2006 के आदेश से व्यथित होना और सार्वजनिक निर्गम व्यय से 171,30,212/- रुपये की ब्याज आय की कटौती के दावे को खारिज करते हुए प्रतिवादी सीआईटी (ए) एसीआईटीसी 8/74/2006-2007 दायर करके सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील में गया। विद्वान सीआईटी (अपील) ने दिनांक 05.01.2007 के आदेश के तहत शेयर आवेदन राशि से ब्याज आय की भरपाई की अनुमति नहीं देने के मूल्यांकन अधिकारी के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया।

(डी) विद्वान सीआईटी (अपील) द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, दोनों पक्षों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष क्रॉस-अपील दायर की। ट्रिब्यूनल ने, दिनांक 21.10.2011 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, 1,71,30,212/- रुपये की ब्याज आय के कारण कटौती के संबंध में प्रतिवादी के दावे को स्वीकार कर लिया और मामले को अन्य मुद्दों पर मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेज दिया।

(ई) व्यथित होकर, राजस्व ने आईटीए संख्या 235 वर्ष 2012 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दिनांक 18.12.2012 के आदेश के तहत ब्याज आय की कर योग्यता के बिंदु पर अपील को खारिज कर दिया।

(एफ) दिनांक 18.12.2012 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दायर की है।

3. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स का अवलोकन किया।

विचारार्थ बिंदु:-

4. क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, शेयर आवेदन राशि जमा करने पर अर्जित ब्याज प्रतिवादी के हाथों कर योग्य आय है?

प्रतिद्वंद्वी विवाद:-

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश वर्तमान मामले के कानून और तथ्यों के खिलाफ है। उन्होंने आगे यह भी तर्क दिया की उच्च न्यायालय ने कर अपील संख्या 315 वर्ष 2010 में सहायक आयकर आयुक्त बनाम पनामा पेट्रोकेम लिमिटेड शीर्षक से पारित अपने पहले के आदेश दिनांक 26.07.2011 पर भरोसा करके घोर गलती की और इस तथ्य की सराहना नहीं करते हुए कि विभाग कम कर प्रभाव के कारण 9,81,541/- रुपये होने के कारण इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर नहीं कर सका। जिसमें यह माना गया कि शेयर आवेदन राशि को बैंक खाते में रखने से होने वाली ब्याज आय सार्वजनिक निर्गम व्यय के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अंततः तर्क दिया कि कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि ब्याज आय को हमेशा राजस्व प्रकृति के रूप में माना जाता है जब तक कि यह क्षति या मुआवजे के माध्यम से प्राप्त न हो। वर्तमान मामला क्षति या मुआवजे से संबंधित नहीं है और उच्च न्यायालय ने ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की है जो कानून के अनुरूप नहीं है और खारिज होने योग्य है।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामला पूरी तरह से आयकर आयुक्त बनाम बोकारो स्टील लिमिटेड (1999) 236 आईटीआर 315 (एससी) में रिपोर्ट के तहत आता है। विद्वान वकील ने अंततः कहा कि उच्च न्यायालय का निर्णय कानून के मापदंडों के भीतर था और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

बहस:-

8. प्रतिवादी कंपनी विचाराधीन वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लेकर आई थी और प्राप्त शेयर आवेदन राशि को बैंकों के पास जमा कर दिया गया था, जिस पर 1,71,30,202/- रुपये का ब्याज अर्जित हुआ था। जिसे मूल रूप से अन्य स्रोतों से आय के रूप में दाखिल की गई आय की रिटर्न में दिखाया गया था, जिसे आईटी अधिनियम की धारा 44AB के तहत दायर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के कॉलम 13 (डी) में भी संदर्भित किया गया था। भले ही शुरू में ब्याज से आय को आय रिटर्न में अन्य स्रोतों से आय के रूप में दिखाया गया था, तथापि, प्रतिवादी ने सार्वजनिक निर्गम व्यय के विरुद्ध इस तरह के ब्याज की भरपाई की अनुमति देने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष एक अतिरिक्त आधार उठाया था। इस मुद्दे की जांच ट्रिब्यूनल द्वारा की गई थी और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा नए निर्णय के लिए इसे अलग रखा गया था। नई कार्यवाही के दौरान, प्रतिवादी को शेयर आवेदन राशि पर ब्याज का विवरण दाखिल करने का अवसर दिया गया। प्रतिवादी ने कहा कि शेयर आवेदन राशि पर ब्याज आय का विवरण मूल मूल्यांकन के समय उनके पत्र दिनांक 11.03.2003 के अनुलग्नक संख्या 7 में पहले ही प्रस्तुत किया गया था। उक्त अनुबंध के सत्यापन से पता चलता है कि प्रतिवादी ने बैंक में रखे गए एफडीआर पर ब्याज आय अर्जित की थी, हालांकि, जिस अवधि के लिए ऐसे एफडीआर रखे गए थे और अर्जित ब्याज की विशिष्ट अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में, यह पहचानना संभव नहीं था कि एफडीआर पर अर्जित ब्याज का कितना हिस्सा शेयरों के आवंटन से पहले या शेयरों के आवंटन के बाद की अवधि से संबंधित था। इस संबंध में ट्रिब्यूनल के विशिष्ट दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए और

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पूर्व-आवंटन और आवंटन के बाद के हित के विशिष्ट कामकाज के अभाव में प्रतिवादी के दावे की अनुमति नहीं दी गई थी और अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के तहत कुल आय में जोड़ा गया जैसा कि प्रतिवादी द्वारा दायर आय की मूल रिटर्न में घोषित किया गया था।

9. मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, हम दोहरा सकते हैं कि प्रतिवादी को शेयरों का आवंटन पूरा होने तक शेयर आवेदन राशि को अलग खाते में रखना वैधानिक रूप से आवश्यक था। ऐसी अलग से रखी गई राशि पर अर्जित ब्याज को शेयर पूंजी जुटाने के व्यय में समायोजित किया जाना था। इसलिए, हमारी राय है कि अर्जित ब्याज कंपनी की शेयर पूंजी जुटाने की आवश्यकता से अटूट रूप से जुड़ा हुआ था और इस प्रकार शेयर जारी करने के लिए शामिल व्यय के लिए समायोज्य था। हालाँकि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि शेयर आवेदन राशि का कुछ हिस्सा आम तौर पर असफल आवेदकों को वापस करना होगा और इसलिए संपूर्ण शेयर आवेदन राशि अंततः कंपनी द्वारा विनियोजित नहीं की जाएगी, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, हमें नहीं लगता कि यह कारक कोई महत्वपूर्ण अंतर कैसे लाएगा। वैधानिक रूप से अलग खाते में रखे जाने वाले शेयर आवेदन धन से अर्जित ब्याज को शेयर पूंजी जुटाने की लागत में समायोजित किया जा रहा था। मामले को देखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने इस तरह की कटौती की अनुमति देकर सही कदम उठाया था।

10. मामले में उपरोक्त घटनाक्रम के आलोक में, इस न्यायालय द्वारा बोकारो स्टील लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में कानून का प्रश्न तय किया गया है, जिसमें कंपनी की स्थापना स्टील का उत्पादन करने के लिए की गई थी। जब प्लांट का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ था, तो कंपनी ने ठेकेदार के कर्मचारियों को किराए पर दिए गए क्वार्टरों से ठेकेदार को अग्रिम किराए पर ब्याज अर्जित किया, साथ ही अन्य आय जैसे प्लांट और मशीनरी पर किराया शुल्क ठेकेदार को अपनी जमीन से निकाले गए पत्थरों पर रॉयल्टी के रूप में दिया। यह इस पृष्ठभूमि में था कि इस न्यायालय ने माना कि राशियाँ कंपनी द्वारा संयंत्र के निर्माण से सीधे तौर पर जुड़ी हुई थीं और आकस्मिक थीं, राशियाँ पूंजीगत प्राप्तियाँ थीं और किसी स्वतंत्र स्रोत से आय नहीं थीं।

11. इसके अलावा, आयकर आयुक्त बनाम करनाल सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड (2000) 243 आईटीआर 2 (एससी) में बोकारो स्टील लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले के तर्क का पालन किया गया। इस मामले में, कंपनी ने संयंत्र स्थापित करने के लिए मशीनरी की खरीद के लिए ऋण पत्र खोलने के लिए बैंक में कुछ राशि जमा की थी। इस प्रकार जमा किये गये धन पर ब्याज मिलता था। उस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने पाया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां कोई अधिशेष शेयर पूंजी धन, जो बेकार पड़ा था, ब्याज कमाने के उद्देश्य से बैंक में जमा किया गया था। पैसा जमा करना सीधे तौर पर प्लांट और मशीनरी की खरीद से जुड़ा होता है।

12. इन सभी निर्णयों में जो सामान्य तर्क अपनाया जाता है वह यह है। यदि कोई अतिरिक्त धन है जो बेकार पड़ा है और उसे ब्याज कमाने के उद्देश्य से बैंक में जमा किया गया है। तब इस पर अन्य स्रोतों से आय के रूप में कर लगाया जाना चाहिए, लेकिन यदि अर्जित आय केवल आकस्मिक है और विचाराधीन कार्य करने का मुख्य उद्देश्य नहीं है जिसके परिणामस्वरूप कुछ अतिरिक्त आय अर्जित हुई है तो आय का आकलन नहीं किया जा सकता है और कटौती के

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

रूप में दावा किये जाने योग्य है। उपरोक्त तर्क को वर्तमान मामले के संदर्भ में रखते हुए, यदि प्राप्त शेयर आवेदन राशि वैधानिक अनिवार्य आवश्यकता के आलोक में बैंक में जमा की जाती है तो अर्जित ब्याज पर कर नहीं लगेगा और वह सार्वजनिक निर्गम व्यय के विरुद्ध कटौती के लिए पात्र है। शेयर का मुद्दा कंपनी की पूंजी संरचना से संबंधित है और इसलिए शेयरों के मुद्दे के संबंध में किए गए खर्चों को पूंजीकृत किया जाना है। क्योंकि ऐसी जमा राशि का उद्देश्य कुछ अतिरिक्त आय अर्जित करना नहीं है, बल्कि वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन करना है, और ऐसी जमा पर अर्जित ब्याज केवल आकस्मिक है। वर्तमान मामले में, प्रतिवादी को शेयरों का आवंटन पूरा होने तक शेयर आवेदन राशि को बैंक में रखना वैधानिक रूप से आवश्यक था। उस अर्थ में, हमारा यह विचार है। उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि बैंक में इस तरह की जमा राशि पर अर्जित ब्याज को सार्वजनिक निर्गम व्यय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। कंपनी ने यह खर्च किया है क्योंकि अर्जित ब्याज कंपनी की शेयर पूंजी जुटाने की आवश्यकता से जुड़ा हुआ था और इस प्रकार शेयर जारी करने के लिए शामिल व्यय के लिए समायोज्य था।

13. मौजूदा चर्चा के मद्देनजर हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के दिनांक 21.10.2011 के निर्णय को बरकरार रखते हुए सही किया कि शेयर आवेदन राशि से अर्जित ब्याज आय सार्वजनिक निर्गम व्यय के विरुद्ध समायोजित की जा सकती है। अन्य मुद्दों पर मामले को ट्रिब्यूनल को भेजने में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

एस.सी.आर. बर्खास्त किया जाता है।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

Sandeep

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"